न्यायालय श्रीमान उपखण्डाधिकारी महोदय, बाडी

मु0रा0सं0--- 54 / 2020

पुष्पा देवी बनाम गुड्डी देवी वगैरा

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 152 सीपीसी

श्रीमान जी,

प्रार्थी निम्न निवेदन करता है:-

1. यह कि उक्त उनवान का दावा वादीगण पुष्पादेवी वगैरा ने गुड्डी देवी वगैरा के खिलाफ एक राजस्व मुकदमा नम्बर 54 / 2020 अधीन धारा 53, 188 आर टी एक्ट का दायर किया था। उक्त दावा प्रारंभिक डिक्री किया जाकर वाद कुर्रेजात प्राप्त होने के दिनांक 11.06.2024 को अन्तिम डिक्री किया गया।
2. यह कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 02 था व प्रार्थी का नाम दीप कुमार है वादपत्र के उनवान मे प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 02 का नाम दीप कुमार अंकित है।
3. यह कि उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान द्वारा सहबन से निर्णय व डिक्री मे प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 02 का नाम दीप कुमार के स्थान पर दीपक कुमार अंकित कर दिया है जो गलत है
4. यह कि उक्त निर्णय व डिक्री के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामत हेतु इजराय पेश की व न्यायालय श्रीमान द्वारा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हेतु परवाना जारी किया गयां।
5. यह कि न्यायालय श्रीमान द्वारा इजराय में जारी किये गये परवाने को तहसीलदार साहब(भूअभिलेख)बाडी को भेजा व तहसीलदार साहब बाडी ने दिनांक 10.06.2025 को हल्का पटवारी को निर्णय डिक्री के अनुसार पालना हेतु भेजा तो हल्का पटवारी ने परवाना में दीप कुमार के स्थान पर दीपक कुमार देखकर कहा कि प्रतिवादी संख्या 02 का रिकार्ड मे

दीप कुमार

नाम दीप कुमार है व निर्णय व डिक्री के परवाने में दीपक कुमार अंकित है इस कारण हल्का पटवारी द्वारा निर्णय व डिक्री की पालना करने से इंकार कर दिया। और कहा कि निर्णय व डिक्री में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 02 का नाम दीपक कुमार के स्थान पर दीप कुमार अंकित कर संशोधन कराने के पश्चात् ही निर्णय व डिक्री की पालना की जावेगी।

6. यह कि वादपत्र एव राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 02 का नाम दीप कुमार है जबकि न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्णय व डिक्री में दीप कुमार के स्थान पर दीपक कुमार सहवन से अंकित हो गया है। इस कारण निर्णय व डिक्री में दीपक कुमार के स्थान पर दीप कुमार अंकित कर संशोधन किया जावे जिससे न्यायालय श्रीमान द्वारा जारी निर्णय व डिक्री की राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर पालना हो सके।

7. यह कि पार्थना पत्र अविलम्ब पेश है

8. यह कि दीगर वजूहात वक्त बहस जुबानी अर्ज की जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मुताबिक वादपत्र एवं राजस्व रिकार्ड में अंकित दीप कुमार के स्थान पर न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 02 का नाम दीपक कुमार के स्थान पर दीप कुमार दुरुस्त कर संशोधन किया जावे। संशोधित परवाना निर्णय व डिक्री की पालना हेतु जारी किया जावे। बडी कृपा होगी। दिनांकः– 02.07.2025

प्रार्थी

दीप कुमार पुत्र राजेन्द्र
जाति ब्राहमण निवासी
कांसोटी खेडा तहसील
बाडी जिला धौलपुर राज0

दीप कुमार

Scanned with OKEN Scanner